कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 480 दिनांकः– 14.6.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।**

प्रसंगः– **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 1194 दिनांक 13.06.2017**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा समर्पित गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की Hard copy 05 प्रतियों में तथा Online प्राप्त हुआ है। विषयगत अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. विषयक प्रस्ताव का Proposal No. FP/JH/others/26363/2017 है ।
2. Land Schedule के अनुसार प्रस्तावित अपयोजन क्षेत्र 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) गैर मजरूवा जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि है, जो मौजा– रोआम, थाना सं0– मनोहरपुर–15, खाता सं0–02, प्लॉट सं0–232 में पड़ता है । इससे संबंधित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न है ।
3. LWE क्षेत्र के लिए भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश के अनुसार 5.00 हे0 तक का General approval का प्रावधान है जिसमें क्षतिपूरक वनरोपण की आवश्यकता नहीं है । परन्तु NPV भुगतान अनुमान्य है ।
4. प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि जमा करने संबंधी वचनवद्धता समर्पित की गई है ।
5. अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत एक हेक्टर वनभूमि का दावा रहित अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक– 693 (बी0) दिनांक– 07.06.2017 से निर्गत किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है, जिसमें कुल वृक्षों की संख्या– 16 है जिसे Online भर दिया गया है ।
7. प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.2 है एवं सारण्डा के घाटकुड़ी ब्लॉक से सटे होने के चलते Eco Class-I माना जा सकता है ।
8. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी, बायास्फेयर रिजर्व अथवा राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु पश्चिमी सिंहभूम जिला गज आरक्ष्य एरिया के अन्तर्गत है ।

9. CWLW, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त नहीं है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जाएगा।

10. प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा KML File प्रस्ताव के साथ समर्पित किया गया है ।

11. प्रस्तावित परियोजना हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त है ।

12. प्रस्ताव के साथ Google Earth के Image Map में प्रस्तावित कैम्प दर्शाया गया है ।

13. प्रस्ताव के साथ 1:50000 टोपोशीट पर स्थल चिन्हित मैप संलग्न है ।

14. प्रस्तावित क्षेत्र का Co-ordinates समर्पित है ।

15. प्रस्ताव के साथ Form-A Part-I में प्रयोक्ता अभिकरण का अभियुक्ति एवं आवेदन दर्ज है।

16. प्रस्ताव के साथ Part-II एवं Part-III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का मंतव्य दर्ज है।

17. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।

प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेख/मैप संलग्न है :–

(i)	प्रस्ताव से संबंधित Form-A, Part-I	(Annexure-1)
(ii)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण तथा NPV से संबंधित वचनवद्धता समर्पित किया गया है ।	(Annexure-2)
(iii)	1:50000 टोपोशीट पर स्थल चिन्हित किया गया मैप	(Annexure-3)
(iv)	Google Earth के Image Map	(Annexure-4)
(v)	कैम्प स्थापना से संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) झारखण्ड, राँची का पत्रांक– 727 दिनांक– 01.06.2015	(Annexure-5)
(vi)	अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक– 1166 (बी0) दिनांक– 18.05.2017	(Annexure-6)
(vii)	जिला दण्डाधिकारी–सह उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक– 1246 (बी0) दिनांक– 25.05.2017	(Annexure-7)
(viii)	प्रस्तावित क्षेत्र का Co-ordinates	(Annexure-8)
(ix)	पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र	(Annexure-9)
(x)	Time Line Details	(Annexure-10)
(xi)	प्रस्ताव से संबंधित Part-II, निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुशंसा	(Annexure-11)
(xii)	वृक्षों की गणना सूची	(Annexure-12)
(xiii)	वनाधिकार अधिनियम से संबंधित उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा निर्गत FORM-II पत्रांक– 963 (बी0) दिनांक– 07.06.2017 सभी अनुलग्नकों सहित –	(Annexure-13)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल काफी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है एवं जंगल से घिरा हुआ है । इस क्षेत्र में कोई पुलिस थाना/कैम्प स्थापित नहीं है एवं सारण्डा वन प्रमण्डल अन्तर्गत ग्राम– रोआम तथा गुवा–सलाई पथ के किनारे स्थित है । विधि व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फॉरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु स्थल उपयुक्त है ।

अधोहस्ताक्षरी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अनुशंसा से सहमत हैं । सी0आर0पी0एफ0 कैम्प स्थापना हेतु समर्पित प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है ।

वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरांत प्रस्ताव को Online कर इस पत्र के साथ Time Line संलग्न किया जाता है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 1.0121 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु Stage-I की स्वीकृति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

14/6/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

14.6.17

D:\SUNIL\Proposal (K)\Police Picket\CRPF Camp Roam (1.0121 ha)

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

ROAM POLICE CAMP *__1.0121 ha.__*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of ***__1.0121__*** *ha. Forest land.*

Date :- 14.06.2017

Place :- Ranchi.

Signature

14/6/17

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)